



# RAF SECTOR

## NEWS CLIP

09/11/19



TO SERVE HUMANITY WITH SENSITIVE POLICING

Nav Bharat Times, Delhi

# अयोध्या के इन सवालों के मिलेंगे जवाब

अयोध्या के राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर आज फैसला आ जाएगा। इसमें कई ऐतिहासिक सवालों के जवाब मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 40 दिनों की मेरठन सुनवाई में 11 अलग विदुओं पर मुस्लिम और हिंदू पक्षकारों ने अपने-अपने दावे पेश किए। इनमें रामजन्म स्थान, एएसआई की रिपोर्ट, विवादित स्थल पर होने वाली पूजा और नमाज से लेकर अन्य आम विदुओं पर बहस हुई। इन ऐतिहासिक विवाद की जाह में कौन से हैं बड़े सवाल, इन पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के क्या दावे हैं... पहिए राजेश चौधरी की रिपोर्ट

**1**  
**विवादित स्थल पर मालिकाना हक किसका है?**

**हिंदू पक्षकार**  
अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर जन्म स्थल पर पूजा होती थी। जिस जगह को मुस्लिमों के लिए मस्जिद घोषित किया है, उसी जगह को हिंदुओं के लिए अयोध्या मंदिर है। मुस्लिम पक्षकार यह दावा करते हैं कि अयोध्या मंदिर का निर्माण 1528 में हुआ था। जन्म स्थल के रूप में और 1528 का निर्माण पर सहीकरण 1528 है। किसी अर्थ में मंदिर, मस्जिद के रूप में ही स्थापना और संरक्षण के अंतर्गत पड़ेंगे कि नहीं है, यह प्रश्न खड़ा है।



अप्रै 1992 में विध्वंसित बाबरी मस्जिद का अवशेष

**6**  
**विदेशी यात्रियों की बाताओं पर क्या हैं दावे?**

**हिंदू पक्षकार**  
अयोध्या मंदिर, विवादित स्थल पर वर्ष 1920 से विवाद शुरू हो गया था। बाबरी मस्जिद के विनाश के बाद ही अयोध्या में विवाद पर और हिंदू विवाद करने में ही एक का पैदा हुए थे। उनका दावा है कि अयोध्या मंदिर का निर्माण 1528 में हुआ है। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था।



अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विनाश

**2**  
**भगवान राम का जन्मस्थान**

अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर जन्म स्थल पर पूजा होती थी। जिस जगह को मुस्लिमों के लिए मस्जिद घोषित किया है, उसी जगह को हिंदुओं के लिए अयोध्या मंदिर है। मुस्लिम पक्षकार यह दावा करते हैं कि अयोध्या मंदिर का निर्माण 1528 में हुआ था। जन्म स्थल के रूप में और 1528 का निर्माण पर सहीकरण 1528 है। किसी अर्थ में मंदिर, मस्जिद के रूप में ही स्थापना और संरक्षण के अंतर्गत पड़ेंगे कि नहीं है, यह प्रश्न खड़ा है।

**3**  
**क्या ASI की रिपोर्ट सही है?**

अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर जन्म स्थल पर पूजा होती थी। जिस जगह को मुस्लिमों के लिए मस्जिद घोषित किया है, उसी जगह को हिंदुओं के लिए अयोध्या मंदिर है। मुस्लिम पक्षकार यह दावा करते हैं कि अयोध्या मंदिर का निर्माण 1528 में हुआ था। जन्म स्थल के रूप में और 1528 का निर्माण पर सहीकरण 1528 है। किसी अर्थ में मंदिर, मस्जिद के रूप में ही स्थापना और संरक्षण के अंतर्गत पड़ेंगे कि नहीं है, यह प्रश्न खड़ा है।

**7**  
**मुस्लिम पक्षकार**

अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर जन्म स्थल पर पूजा होती थी। जिस जगह को मुस्लिमों के लिए मस्जिद घोषित किया है, उसी जगह को हिंदुओं के लिए अयोध्या मंदिर है। मुस्लिम पक्षकार यह दावा करते हैं कि अयोध्या मंदिर का निर्माण 1528 में हुआ था। जन्म स्थल के रूप में और 1528 का निर्माण पर सहीकरण 1528 है। किसी अर्थ में मंदिर, मस्जिद के रूप में ही स्थापना और संरक्षण के अंतर्गत पड़ेंगे कि नहीं है, यह प्रश्न खड़ा है।

**8**  
**विवादित स्थल पर पूजा होती थी या नमाज?**

अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर जन्म स्थल पर पूजा होती थी। जिस जगह को मुस्लिमों के लिए मस्जिद घोषित किया है, उसी जगह को हिंदुओं के लिए अयोध्या मंदिर है। मुस्लिम पक्षकार यह दावा करते हैं कि अयोध्या मंदिर का निर्माण 1528 में हुआ था। जन्म स्थल के रूप में और 1528 का निर्माण पर सहीकरण 1528 है। किसी अर्थ में मंदिर, मस्जिद के रूप में ही स्थापना और संरक्षण के अंतर्गत पड़ेंगे कि नहीं है, यह प्रश्न खड़ा है।

**9**  
**विवादित स्थल पर कच्चा किसका था?**

अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर जन्म स्थल पर पूजा होती थी। जिस जगह को मुस्लिमों के लिए मस्जिद घोषित किया है, उसी जगह को हिंदुओं के लिए अयोध्या मंदिर है। मुस्लिम पक्षकार यह दावा करते हैं कि अयोध्या मंदिर का निर्माण 1528 में हुआ था। जन्म स्थल के रूप में और 1528 का निर्माण पर सहीकरण 1528 है। किसी अर्थ में मंदिर, मस्जिद के रूप में ही स्थापना और संरक्षण के अंतर्गत पड़ेंगे कि नहीं है, यह प्रश्न खड़ा है।

**10**  
**मस्जिद टूटने के बाद भी मस्जिद रहती है क्या?**

अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर जन्म स्थल पर पूजा होती थी। जिस जगह को मुस्लिमों के लिए मस्जिद घोषित किया है, उसी जगह को हिंदुओं के लिए अयोध्या मंदिर है। मुस्लिम पक्षकार यह दावा करते हैं कि अयोध्या मंदिर का निर्माण 1528 में हुआ था। जन्म स्थल के रूप में और 1528 का निर्माण पर सहीकरण 1528 है। किसी अर्थ में मंदिर, मस्जिद के रूप में ही स्थापना और संरक्षण के अंतर्गत पड़ेंगे कि नहीं है, यह प्रश्न खड़ा है।

# अयोध्या : आई फैसले की घड़ी, सरकार सतर्क खड़ी

■ एनबीटी व्यू, लखनऊ : अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या पर अयोध्या फैसले को लेकर योगी सरकार और बीजेपी दोनों ही इस मामले 'संवधान' मोड़ में आ गए हैं। फैसले के बाद प्रदेश में अपन-घन कायम हो यह सरकार को चिंता है। यही कारण तीन दिनों से अपनी सिध्दता के बारे अयोध्या की राह आगे बढ़ते देख खंबड़े ने भी सुरक्षा जयेंत समझाने और बनाने दोनों शुरू कर दिये हैं।

चीफ जस्टिस रजम रोषा 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके पहले सुट्टियों व दूसरी जयंतियों को देखते 13 व 14 नवंबर को फैसला आने को उम्मीद जहाँ जा रहा है। पूर्ण में सत्ता और सिध्दता दोनों के लिए हो फैसले को ज़रूरी एक परिणाम जैसा है। इसलिए तैयारी से ठीक के हिसाब से शुरू हो गई है।

सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि योगी योगी अविश्वस्य ने अधिकारियों को फैसला आने तक उनका कोई भी बाहर का कार्यक्रम नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान योगी राजधानी में रहेंगे और यहाँ से स्थितियों को मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरी ओर योगी के निर्देश पर मंत्रियों ने अपने प्रचार वाले जिलों में दौरे के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। योगी ने सभी मंत्रियों को अपने प्रचार जिलों में जाकर पोलिंग स्टेशनों, प्रबुद्ध जयेंत और प्रशासन के साथ बैठक करने को कहा था।



केंद्र सरकार की तरफ से अयोध्या में सुरक्षा की तैनाती के लिए अद्वैतीय बलों के 4,000 जवानों को भेजा गया है

## माली परखने में जुटी बीजेपी

बैठक करने को कहा था। जिससे स्थिति-ब्यवस्था बनाई रखी जाए और समाज के विभिन्न वर्गों को भी विरक्तता में लेकर फैसले के समग्र सीखार्द बनवाया रखा जा सके। राम मंदिर आंदोलन से उपजी बीजेपी ने इस अलग घड़ी पर जयेंत पर विश्वास शोर काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार संगठनात्मक चुनाव की गति भी इसके चलते धीमी पड़ गई है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश व संध के 'संकेत' के बाद स्थिति यहाँ से लेकर नियत सत्ता तथा सबसे पहली सिध्दता चुनाव पर लगाने लगने की भी गई है। भद्रवाक्य व बड़बोलें बयानों से खतरा और पर विचार करने को कहा गया है। समाज के उच्च वर्गों को समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच बैठकर बात करने को कहा गया है। फैसले के चलते संगठनात्मक चुनावों की गति भी मंद पड़ गई है। पार्टी के एक नेता का कहना है कि माली अयोध्या का चुनाव परिणाम में है। इसके बाद जिलों के चयन चुने जानें थे। लेकिन, फैसले को देखते हुए जिलास्तरों के चुनाव को अंतराधान जयेंत बढ़ सकती है।

## केंद्र ने राज्यों से अलर्ट रहने को कहा

■ भाषा, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने दूरी और खासकर पर अयोध्या में सुरक्षा रैपिडी के लिए अद्वैतीय बलों के 4,000 जवानों को भेजा है। एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी संवेदनशील इलाकों में पर्यटन सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा गया है।

## 78 प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई गई

■ भाषा, नई दिल्ली : रेलवे पुलिस ने सुरक्षा को सुरक्षा पैकज के रूप में अपने सभी स्टेशनों के लिए सज्जदारियों जयेंत किया। सूत्रों ने बताया कि अयोध्या में सभी धार्मिकों की सुधियां रूढ़ कर दी हैं। उनके दौरे की सुरक्षा में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन स्थानों की पहचान की गई है जो हिंसा के सिध्दता से संवेदनशील हो सकते हैं या निगरान विस्फोटकों को छिपाने में इस्तेमाल किया जा सकता है।

# अयोध्या पर फैसले की घड़ी : गृह मंत्रालय ने राज्यों को किया अलर्ट

## आरपीएफ कर्मियों की छुट्टियां रद्द, सुरक्षा एडवायजरी जारी

अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी

नई दिल्ली/अयोध्या। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखने को कहा है। इसके साथ ही अर्धसैनिक बल के 4,000 जवानों को ऐहतियातन उत्तर प्रदेश भेजा गया है। दूसरी ओर, आरपीएफ ने भी अपने सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर महत्वपूर्ण स्टेशनों की सुरक्षा-व्यवस्था का अलर्ट जारी किया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों को भेजे सामान्य परामर्श में कहा है कि वे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति न बनने दें। यूपी सरकार की मदद के लिए 40 कंपनी अतिरिक्त अर्धसैनिक बल भेजे गए हैं। इनकी तैनाती अयोध्या संवेदनशील स्थानों पर की जाएगी। गौरतलब है कि सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में फैसला उससे पहले आने की संभावना है।

>> फैसले की घड़ी : पेज 2



कानपुर के संवेदनशील इलाकों में जवानों को तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर स्वरूपनगर में आरएफ ने मार्चपास्ट किया।

**कानपुर :** खुफिया विभाग की रिपोर्ट, शांति व्यवस्था बनी रहेगी कानपुर। अयोध्या मामले पर फैसला किसी के भी पक्ष में आए, आपसी सीहार्द बना रहेगा। इसका किसी तरह का असर लोगों पर नहीं होगा। शांति व्यवस्था बरकरार रहेगी। ऐसा इनपुट खुफिया एजेंसियों को मिला है। सकारात्मक इनपुट से पुलिस प्रशासन को भी राहत मिली है। >> माई सिटी 2 पर

# 4000

अतिरिक्त  
अर्धसैनिक केंद्र  
सरकार ने यूपी  
के लिए भेजे

सील हो रहीं गलियां और सड़कें अयोध्या में बृहस्पतिवार को अतिसंवेदनशील परिसर के पीछे मोहल्लों की सड़कें व गलियां सील कर दी गईं। पैदल भी आने का रास्ता नहीं छोड़ा गया है। लोग खाने-पीने व जरूरत के सामान जुटा रहे हैं। चेकपोस्ट-बैरियर पर सघन तलाशी की जा रही है।



## अयोध्या तैयार, सील होने लगीं सड़कें

अयोध्या (धीरेंद्र सिंह)। श्रीरामजन्मभूमि और बावरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले को लेकर अब प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियों का अगला कदम शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को अतिसंवेदनशील विवादित परिसर के पीछे मित्रित आबादी वाले मोहल्लों की सड़कें-गलियां बॉल्लियों से सील की जा रही हैं। यहां से पैदल भी सड़क पर आने का रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है। धरो में कैद होने को मजबूर दोनों समुदाय के लोगों में अनहोनी की आशंकाएं बढ़ रही हैं। वे अब बड़े-बुजुर्ग व बच्चों को सुरक्षित रखने के साथ खाने-पीने व जरूरत के सामान जुटाने को प्राथमिकता देने लगे हैं। चौदहकोसी व पंचकोसी परिक्रमा समाप्त होने ही बृहस्पतिवार से प्रशासन ने फैसले के लिए अयोध्या की तैयारी पर काम तेज कर दिया। सुबह से ही नज्वा बदला-बदला सा था। हर चेकपोस्ट-बैरियर पर आने-जाने वालों को सघन तलाशी के बाद ही रामनगरी की ओर बढ़ने की इजाजत दी जा रही थी। ब्रह्मलुओं, साधु-संतों से लेकर रोक आने-जाने स्थानीय लोगों-व्यापारियों के वेग-झोले खंगाले गए। मोबाइल के चार्जर तक रखवा लिए गए। फैजाबाद के बेनीगंज में बैरियर लगा दिया गया। यहां से टयूशन आने वाले बच्चों, दुकानदारों-कारोबारियों को बाइकें-साइकिलें तक रोक दी गईं। बीवी-बच्चों के साथ अवध विधि के अमिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. दीपक कोरी भी परेशान लोगों में शामिल थे। बोले-ऐसी रोक-टोक पहले नहीं थी, लगता है फैसला आने वाला है।

# SC to rule on 70-year-old Ayodhya land case today

Judgment To Be Pronounced At 10.30am

Dhananjay.Mahapatra @timesgroup.com

**New Delhi:** In dramatic fashion, the Supreme Court notified at 9pm on Friday that Saturday will be judgment day for the 70-year-old Ayodhya dispute involving ownership

**FULL COVERAGE: P 15**

claims by Hindu and Muslim parties over an area of 1,487sq yards in the UP town.

A bench of CJI Ranjan Gogoi and Justices S A Bobde, D Y Chandrachud, Ashok Bhushan and S Abdul Nazeer decided to deliver the verdict on a court holiday, hours after the CJI and Justices Bobde and

## TOWN LOCKED DOWN, DIGITAL VIGIL UP

► Digital war room set up at UP police HQ, Lucknow, with 15-member social media unit and 3 lakh digital volunteers on the ground

► Team to keep tabs on WhatsApp messages in 25 sensitive UP districts through 24x7 hotline with its volunteers

► Citizens too can report communally

sensitive or derogatory messages in social media on WhatsApp number 8874327341

► 12 companies of central forces, 6 RAF units, 10 PAC companies, an anti-terror squad and 5,000 cops in Ayodhya. Security strengthened in other UP cities

► All UP schools & colleges shut till Monday



Security personnel stand guard on a street in Ayodhya ahead of the temple verdict

Bhushan met the UP chief secretary and the DGP to take stock of security arrangements in Ayodhya and the state. Delhi Police too beefed up security at the judges' houses.

The announcement sharpened the suspense on the verdict, keenly awaited by both sides. The Ayodhya dispute has

been central to national politics, marking an ideological cleavage between BJP and its "secular" opponents. Several Hindu and Muslim organisations have called for calm ahead of the ruling while the Centre and states are on alert.

► Continued on P 15

## Maintain harmony after verdict: PM

PM Narendra Modi on Friday said the Supreme Court verdict on Ayodhya would not be a victory or defeat for anyone, and appealed to all citizens to maintain harmony after the judgment.

## आरएफ कर्मियों को किया जागरूक

फाफामऊ(संवाद)। राष्ट्रीय कैंसर दिवस पर आरएफ 101 बटालियन शांतिपुरम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कावा अध्यक्षा सुनीता निगम ने किया। तेज बहादुर सप्रू अस्पताल की कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रद्धा यादव ने कैंसर रोग होने के कारण और इससे बचाव का तरीका विस्तार से बताया। इस मौके पर बल के कमांडेंट आरके निगम ने आश्वासन दिया कि इस प्रकार का जागरूकता शिविर भविष्य में भी आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. केके सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी नरेंद्र कुमार, सहायक कमांडेंट सुघेंद्र सिंह आदि अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

## Photos of Deployment/ Fam-Ex Of RAF



सी०आर०पी०एफ० सदा अजेय, भारत माता की जय ।